2025/198

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 86/2025 (128 भू–राज. अधि.) प्रा.प. GCMS No. 2025/198

श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री शांतिलाल, उम्र वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी–गांव बम्बोरा, तह. कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थीया

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता श्री पेमा, जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी गांव बम्बोरा, तह. कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मेताब देवी पत्नी शंकर लाल, उम्र वयस्क, निवासी गांव बम्बोरा, तह. कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री पूंजा पिता श्री गांगा, उम्र वयस्क, निवासी गांव बम्बोरा, तह. कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री ज्ञानीलाल पिता श्री गांगा, उम्र वयस्क, निवासी गांव बम्बोरा, तह. कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तह. कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

उपस्थित :–

1. श्री काशीराम मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

दिनांक : 17.12.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बम्बोरा, पटवार हल्का बम्बोरा, की आराजी संख्या 3165 से 3170, 3173 किता 7 रकबा 1.6750 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीया के खातेदारी जमीन के सटमा विपक्षीगण की खातेदारी आराजीयात स्थित है और आये दिन प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद होता रहता है। जिस पर प्रार्थीया द्वारा दिनांक 10.02.2025 को तहसीलदार साहब से सीमा की जानकारी करवाई लेकिन उक्त सीमा जानकारी से प्रार्थीया संतुष्ट नहीं है उक्त सीमा जानकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों ने कोई स्पष्ट रूप से प्रार्थीया की जमीन की सीमाओं के बारे में अवगत कराया है। प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 85/2025 प्रा.पत्र
लक्ष्मीदेवी बनाम शंकरलाल
निर्णय प्रा.पत्र 128 एल.आर. एक्ट

2025/199

द्वारा अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग किया जा रहा है लेकिन सीमा की वास्तविक जानकारी भौतिक रूप से नहीं होने की वजह से भूमि की सुरक्षा करने में कई प्रकार की बाधाएं आ रही है तथा विपक्षीगण आये दिन सीमा को लेकर विवाद करते रहते है तथा पाली डोली को नुकसान करने पर आमादा रहते है इसलिए प्रार्थीया अपने नाम पर अंकित आराजी की रेकर्ड की वास्तविक जानकारी कराना चाहती है ताकि उक्त आराजी के चारों तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल बना सके।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी की जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2025/735 दिनांक 07.08.2025 से विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित कर प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका पर्चा अनुसार "आज दिनांक 16.07.2025 को तहसीलदार साहब कुराबड़ के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/648 दिनांक 09.07.2025 की पालना में मौजा बम्बोरा में लक्ष्मी देवी बनाम शंकरलाल जाति मेघवाल, निवासी बम्बोरा की पत्थरगढ़ी बाबत कार्यवाही हेतु भू.अ.नि. बम्बोरा के साथ मौके पर मय राजस्व रिकार्ड पहुंचा मौके पर वादी लक्ष्मी देवी पत्नी शांतिलाल मेघवाल, पुंजा पिता गांगा, ज्ञानीलाल पिता गांगा, शंकरलाल पिता पेमा उपस्थित हुए। राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के आराजी संख्या 3165 से 3173 तक की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की और पत्थर लगवाए।"

अतः उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजीयात की विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जाने से प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी * गिर्वा, उदयपुर *

(अवुला सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर